<u>न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, उदयपुर</u>

(पीठासीन अधिकारी : श्री ओ.पी.बुनकर, आर.ए.एस.)

प्रकरण स. : **03/2022** (अपील नामा)

GCMS No. 2022/8

अनवान

1. श्री देवा पिता शंकरा जाति गरासिया, निवासी काउचा, तहसील– कोटडा,
2. सुकिया पिता श्री शंकरा जाति गरासिया, निवासी काउचा, तहसील– कोटडा
3. भूता पिता श्री शंकरा जाति गरासिया, निवासी काउचा, तहसील– कोटडा
4. वेलचन्द पिता शंकरा जाति गरासिया, निवासी काउचा, तहसील– कोटडा
5. उजमा पिता शंकरा जाति गरासिया, निवासी काउचा, तहसील– कोटडा जिला–उदयपुर व अन्य।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. श्री लसा पिता अम्बा जाति गरासिया, निवासी काउचा, तहसील– कोटडा,
2. श्री होमला पिता अम्बा जाति गरासिया, निवासी काउचा, तहसील– कोटडा
3. श्री भारमा पिता अम्बा जाति गरासिया, निवासी काउचा, तहसील– कोटडा
4. श्री किशन पिता अम्बा जाति गरासिया, निवासी काउचा, तहसील– कोटडा
5. तहसीलदार कोटडा, तहसील– कोटडा, जिला–उदयपुर।

– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थित

1. श्री सुरेश चन्द्र त्रिवेदी, अपीलान्ट्स अधिवक्ता।

<u>अपील अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956</u>
<u>अपील विरूद्ध नामान्तकरण सं. 2[illegible] तहसीलदार कोटडा आदेश</u>
<u>दिनांक [illegible]</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash
Bunkar
Date: 2022.05.20 15:55:00 IST
Reason: SelfAttested

* निर्णय *

दिनांक– 30-03-2022

प्रकरण मे संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट्स ने इस न्यायालय मे अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा राजस्व ग्राम कऊचा, पटवार हल्का जोगीवड, भू अभि. नि. जुडा तहसील– कोटडा जिला उदयपुर के आराजीयत का 1/2 हिस्सा अपीलान्ट के अधिपत्य में है तथा 1/2 हिस्सा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के आधिपत्य में होकर कब्जेकाश्त चली आ रही है। यह कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट का परिवार सयुंक्त था तथा वक्त पेमाइश मृतक राजा कर्ता खानदान होकर परिवार का मुखिया था तथा उसके दो अन्य भाई मृतक अम्बा व मतृक दोला नाबालिग थे। जिस वजह से जमाबन्दी संख्या 75 में अंकित आराजियत मृतक राजा के नाम पर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई तथा मृतक राजा के दोनो भाई मृतक अम्बा व मतृक दोला सभी मिलकर सयुंक्त रुप से काश्त करते थे , मृतक राजा के कोई संतान नही होने से राजस्व रेकार्ड में अंकित आराजियत का 1/2 हिस्सा अपने भाई अम्बा को व 1/2 हिस्सा अपने भाई दोला को अपने जीवित काल में ही सुपूर्द कर दिया तब से अलग अलग काश्त करते चले आ रहे है। यह कि अपीलान्ट ने किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु हल्का पटवारी से 05.12. 2021 को सम्पर्क किया तथा अपने खाते की नकल मांगी तो पटवारी ने रेकार्ड देखकर बताया कि अपीलान्ट के नाम पर तथा इनके पिता एवं दादा के नाम कोई जमीन नहीं है। इस पर अपीलान्ट द्वारा राजस्व विभाग में जाकर चाराजोही की गई तब वहा से प्रमाणित प्रतिया 14.02.2022 को उपलब्ध कराई गई । जिस पर प्रथम बार ज्ञात हुआ कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लसा उर्फ लछिया व रेस्पोडेन्ट संख्या 4 किशना ने मिलकर राजस्व अधिकारियों को धोखा देकर अपने पिता का नाम अम्बा होने के बावजुद स्वयं को राजा का पुत्र बताकर व अपनी माता श्रीमति जारकी उर्फ जटकी को राजा की पत्नि बताकर नामान्तरकरण संख्या 237 दिनांक 06.12.2001 को स्वीकृत करवा लिया। उक्त भूमि अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट्स के पूर्वज नाथा गरासिया के नाम दर्ज चली आ रही थी । एवं उक्त भूमि पैतृक होने से अपीलान्ट्स एवं रेस्पोडेन्ट का बराबर हक एवं हिस्सा निहित है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटडा द्वारा स्व. शंकरा पिता स्व.

Signature Not Verified
Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.05.20 16:55:04 IST
Reason: SelfAttested

दोला गरासिया पिता स्व. नाथा गरासिया के विधिक वारीसान की जांच किये बिना कथित नामान्तरकरण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 के पक्ष मे स्वीकृत कर दिया गया है। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित कथित नामान्तरकरण को निरस्त किया जाकर अपीलान्ट्स का नाम भी खाते मे दर्ज करने का आदेश प्रदान करावे।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया एवं रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस/सूचना पत्र जारी किये जाकर अपना पक्ष/प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। प्रकरण में नोटिस/सूचना पत्र दिनांक 22.02.2022 बाद तामिल प्राप्त हुए। प्रकरण मे रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 से 4 की ओर से ना तो स्वयं उपस्थित हुए, विपक्षी की और से कोई अधिवक्ता द्वारा वकालत पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। रेस्पोडेन्ट्स के नाम जारी नोटिस/सूचना पत्र बाद तामील प्राप्त होने से संलग्न पत्रावली किये गये। प्रकरण मे बहस हेतु तिथि नियत की गई।

बहस हेतु निर्धारित तिथि को अपीलान्ट्स अधिवक्ता हुए। अपीलान्ट्स अधिवक्ता ने बहस प्रारम्भ करते हुए अपील मे वर्णित तथ्यो को दोहराया तथा अपीलान्ट्स को स्व. श्री नाथा गरासिया का विधिक वारिस होना, साबिक खाता संख्या 75 मे वर्णित आराजीयात की भूमि मे अपीलान्ट्स का बराबर हक एवं हिस्सा निहित होना अवगत कराया एवं उक्त नामान्तरकरण को निरस्त कर अपीलान्ट्स के नाम भी उक्त भूमि अकंन कराने हेतु अनुरोध किया। विपक्षीगण की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने से उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही की गयी।

हमने अपीलान्ट्स अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली मे उपलब्ध अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील, नामान्तरकरण संख्या 237 दिनांक 06.12.2001 की प्रति, आदि का अवलोकन किया एवं पत्रावली मे वर्णित तथ्यो पर गंभीरता से मनन किया। सबसे पहले धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर देरी को क्षमा किया गया। नामान्तरकरण संख्या 237 की प्रति के अवलोकन से ज्ञात होता है कि साबिक खाता संख्या 75 मे अंकित आराजीयात कुल भूमि का नामान्तरकरण श्री नाथा गरासिया के फोत के खाते पर उनके वारीसान के नाम खोला गया, अपील मे वर्णित अनुसार अपीलान्ट्स स्वयं को शंकरा पिता दोला पिता स्व. नाथा गरासिया का विधिक वारिस होना अवगत कराया गया है

Signature Not Verified
Digitally Signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.05.20 15:55:40 IST
Reason: SelfAttested

। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित नामान्तरकरण प्रथम दृष्ट्या त्रुटिपूर्ण होना परिलक्षित होने से अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार कोटडा द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 237 दिनांक 06.12.2001 पुनः जांच किये जाने योग्य पाया जाता है एवं ऐसे नामान्तरकरण को निरस्त कर पुनः जांच उपरान्त नवीन सिरे से खोले जाने हेतु तहसीलदार कोटडा को प्रति प्रेषित करना हम उचित समझते है।

अतः अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार की जाकर मौजा राजस्व ग्राम कऊचा, पटवार हल्का जोगीवड, भू अभि. नि. बिकरनी तहसील– कोटडा जिला उदयपुर द्वारा पारित किया गया नामान्तरकरण संख्या 237 दिनांक 06.12.2001 को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार कोटडा को प्रति प्रेषित कर आदेशित किया जाता है कि हमारे द्वारा दिये गये उपरोक्त प्रेक्षणों को ध्यान मे रखते हुए उभय पक्ष को सुनवायी का उचित अवसर दिया जाकर तथा मृतक स्व. नाथा गरासिया के विधिक वारिसान की जांच कर नवीन सिरे से नामान्तरकरण के संबध मे नियमानुसार विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नंबर से कम किया जावे।

(ओ.पी.बुनकर)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Om Prakash Bunkar
Date: 2022.05.20 15:55:00 IST
Reason: SelfAttested